सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2020/00043

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 17/2020

1. काशीराम पुत्र श्री लूणाराम जाति मेघवाल निवासी 14 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार मुकलावा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 16.03.2020 उप तहसीलदार मुकलावा अनवानी सरकार बनाम काशीराम प्रकरण संख्या 46/2020 में प्रार्थी के खिलाफ चक 14 एनपी के मुरब्बा नम्बर 12 में 1.721 हैक्टर नहरी भूमि का तावान वसूल करने व प्रार्थी को बेदखल करने का आदेश को अपास्त करने बाबत।

उपस्थित : 1. श्री विजय रेवाड़, अधिवक्ता, प्रार्थीया
2. श्री हरवीर सिंह, राजकीय अधिवक्ता

आदेश दिनांक :–29.06.2020

प्रस्तुत अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट को चक 14 एनपी के मुरब्बा नम्बर 12 में 1.721 हैक्टर नहरी भूमि अपने पिता से सरप्लस आई हुई है, जिसको नियमन करवाने हेतु अपीलांट द्वारा उपखण्ड एवं आवंटन अधिकारी रायसिंहनगर में प्रकरण संख्या 12/2012 अनवान काशीराम बनाम सरकार नियमन हेतु जेरकार है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.03.2020 विधिविपरित एवं पत्रावली पर आये साक्ष्य के विरूद्व होने के कारण काबिल खारिज है। अपीलांट राजस्थान राज्य का मूल निवासी है तथा अपीलांट का पेशा खेती है। राजस्थान उपनिवेशन नियम 1956 के तहत उक्त भूमि को नियमन करवाने का पात्र है। पत्रावली माननीय आवंटन अधिकारी के समक्ष जेरकार है लेकिन महज अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तर्को पर भी ध्यान न देकर अपीलांट के खिलाफ धारा 22 की कार्यवाही कर उक्त भूमि को गैरकानूनी रूप से निलाम कर अपीलांट को बेदखल करने का आदेश पारित किया है। अपीलांट को ना ही कोई विधिवत नोटिस दिया गया है ना ही अपीलांट को सुना गया है, आनन–फानन में बिना अपीलांट को सुने उक्त आदेश पारित किया गया है। उप तहसीलदार मुकलावा द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अधीन उक्त रकबा में काश्त की गई फसल को कुर्क कर निलाम करना चाहते है जो कतई गैरकानूनी है क्योंकि अपीलांट का आंवटन प्रार्थना पत्र माननीय उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में जेरकार है तथा उक्त भूमि अगर अपीलांट को आवंटन किये जाते है तो जिससे राजस्थान सरकार को फायदा होगा, तथा प्रार्थी एक किसान है जो खेती योग्य भूमि

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

है आवंटन की जायेगी तो अपीलांट अपना जीवन–यापन कर सकेगा। उप तहसीलदार मुकलावा द्वारा किये गये आदेश की कार्यवाही में उपरोक्त रकबा की फसल की निलामी व कुर्की रोकी जानी न्यायोचित है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर चक 14 एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 12 में 1.721 हैक्टर नहरी भूमि की फसल को निलाम करने व अपीलांट को बेदखल करने से रोका जावे।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को आधारित करते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.03.2020 विधि विरूद्व एवं पत्रावली पर आये साक्ष्य के विरूद्व होने के कारण काबिल खारिज है। अपीलांट राजस्थान राज्य का मूल निवासी है तथा अपीलांट का पेशा खेती है। राजस्थान उपनिवेशन नियम 1956 के तहत उक्त भूमि को नियमन करवाने का पात्र है। पत्रावली माननीय आवंटन अधिकारी के समक्ष जेरकार है लेकिन महज अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तर्को पर भी ध्यान न देकर अपीलांट के खिलाफ धारा 22 की कार्यवाही कर उक्त भूमि को गैरकानूनी रूप से निलाम कर अपीलांट को बेदखल करने का आदेश पारित किया है। अपीलांट को ना ही कोई विधिवत नोटिस दिया गया है ना ही अपीलांट को सुना गया है, आनन–फानन में बिना अपीलांट को सुने उक्त आदेश पारित किया गया है। उप तहसीलदार मुकलावा द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अधीन उक्त रकबा में काश्त की गई फसल को कुर्क कर निलाम करना चाहते है जो कतई गैरकानूनी है क्योंकि अपीलांट का आंवटन प्रार्थना पत्र माननीय उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में जेरकार है तथा उक्त भूमि अगर अपीलांट को आवंटन की जाती है तो राजस्थान सरकार को फायदा होगा। प्रार्थी एक किसान है जो खेती योग्य भूमि है आवंटन की जाती है तो अपीलांट अपना जीवन–यापन कर सकेगा। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 14 एन.पी.के मुरब्बा नम्बर 12 किला नम्बर 14 ता 20 हैक्टर रकबा आराजीराज दर्ज रिकॉर्ड है। जिसकी धारा 22 की रिपोर्ट कर फसल निलामी की प्रक्रिया पूर्ण कर राशि हक सरकार के खाते में जमा हो चुकी है व अतिक्रमी को बेदखल कर दिया है। अतिक्रमी लक्ष्मणराम पुत्र लूणाराम को उक्त विवादित भूमि सम्वत् 2037 को टी.सी. पर थी जो तहसीलदार रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 01.01.1981 द्वारा निरस्त की जा चुकी है। अतः उपतहसीलदार मुकलावा का आदेश दिनांक 16.03.2020 को बहाल रखा जाकर अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि पत्रावली में मौजूद पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 17.02.2020 एवं 10.06.2020 अनुसार चक 14 एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 12 किला नम्बर 14 ता 20 हैक्टर रकबा आराजीराज दर्ज रिकॉर्ड है। इस भूमि बाबत पटवारी हल्का ने राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत रिपोर्ट कर बताया कि उक्त रकबा राज पर सम्वत् 2076 में रबी की फसल काशीराम पुत्र लूणाराम जाति मेघवाल ने नाजायज काश्त की है। उप तहसीलदार मुकलावा जिला श्रीगंगानगर ने काशीराम पुत्र लूणाराम को अपने निर्णय दिनांक 16.03.2020 द्वारा आराजीराज से बेदखल करने, अवैध काश्त को कुर्क कर बहक राज्य सरकार जब्त करने एवं निलाम करने का आदेश प्रसारित किया एवं पेनेल्टी रूपये 690/– अधिरोपित की। अपीलार्थी द्वारा उप जिला कलक्टर रायसिंहनगर के न्यायालय में

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

लम्बित प्रकरण संख्या 12/2012 काशीराम बनाम सरकार के फर्द्दअहकाम की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की है जो नियमन बाबत प्रार्थना पत्र है। उक्त पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 29.10.2012 से लम्बित है लेकिन प्रार्थी द्वारा 8 वर्षो के लम्बे अन्तराल में भी अपने पक्ष में बयान नहीं करवाए गए है यदि इस प्रकरण में सार होता तो प्रार्थी काशीराम द्वारा अपने पक्ष में साक्ष्य करवाए जाकर इसका निस्तारण अपने पक्ष में करवाया जाता। इसके अतिरिक्त मात्र नियमन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से प्रार्थी का राजकीय भूमि पर कोई हक नहीं बन जाता। प्रार्थी काशीराम आराजी राज पर अनाधिकृत कब्जा करने के कारण अतिक्रमी ही माना जा सकता है। प्रश्नगत भूमि आज दिनांक तक राजस्व रिकॉर्ड में आराजी राज है एवं किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है। फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2020 विधिसम्मत् है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उप तहसीलदार मुकलावा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2020 विधिसम्मत् होने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। उप तहसीलदार मुकलावा को आदेश की प्रति भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 29.06.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. गुजन सोनी)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।

Scanned with CamScanner